बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०–2/एल–108/2024– /स्वा०, पटना, दिनांक / /2024

डॉ0 पूर्णिमा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा के मातृत्व अवकाश हेतु दिनांक 01.10.2026 से 29.03.2027 तक कुल–180 (एक सौ अस्सी) दिन द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें राजभ्य प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2/एल–108/2024– 2422(2) पटना, दिनांक 6/10/2024

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक,/उपाधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा /कोषागार पदाधिकारी, छपरा / डॉ0 पूर्णिमा कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/10/26
सरकार के उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner